श्री संजय जैन, उप–सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा) दिल्ली सरकार के पत्र सं0–फा.सं–5(01)/2019–20–क0सं0 एवं भाषा/1607–1708 दिनांक 08–08–2019 के पत्र की प्रतिलिपिः–

विषयः– 'हिन्दी दिवस' के उपलक्ष्य में माननीय मुख्य सचिव, दिल्ली का संदेश।

महोदय,

दिल्ली सरकार तथा इसके अधीनस्थ स्थानीय निकायों के कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने, इसका अधिक से अधिक प्रचार–प्रसार करने और अधिकारियों/कर्मचारियों में हिन्दी में कार्य करने के प्रति रूचि पैदा करने के उद्देश्य से कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष अनेक योजनाएं एवं कार्यक्रम चलाये जाते हैं। इसके अलावा सरकारी कार्यालयों में हिन्दी की प्रगति को सुनिश्चित करने के लिये दिल्ली सरकार के समस्त विभागों को समय–समय पर आवश्यक निर्देश भी जारी किये जाते हैं। चूंकि दिल्ली राजभाषा अधिनियम, 2000 में हिन्दी को दिल्ली की प्रथम राजभाषा घोषित किया गया है। अतः आवश्यक हो गया है कि जनसाधारण से सीधे सरोकार रखने वाले समस्त सरकारी कार्य राजभाषा हिन्दी में ही किये जाने चाहिए।

आपसे अनुरोध है कि 14 सितम्बर, 2019 को **"हिन्दी दिवस"** के अवसर पर माननीय मुख्य सचिव, दिल्ली का संदेश अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों की जानकारी में लाने के लिए परिचालित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
ह0/–
(संजय जैन)
उप–सचिव(कला,संस्कृति एवं भाषा)

दिल्ली परिवहन निगम
(रा0 रा0 क्षेत्र, दिल्ली सरकार)
इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली–110002
हिन्दी अनुभाग (मुख्यालय)

सं0–हिं0अनु0/हिं0दि0/मु0स0/संदेश/2019/ 46 दिनांक 06/09/19

उपर्युक्तानुसार सभी यूनिट/अनुभाग अधिकारियों की जानकारी एवं अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए परिपत्रित किया जाता है।

धर्मपाल 06/09/19
(धर्मपाल)
प्रशिक्षक (हिन्दी)

(1)प्रतिलिपिः– श्री संजय जैन, उप–सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा) दिल्ली सरकार के पत्र सं0–फा.सं–5 (01)/2019–20–क0सं0 एवं भाषा/1607–1708 दिनांक 08–08–2019 के संदर्भ में कृपया सूचनार्थ।

(2)प्रतिलिपिः– प्रबन्ध निदेशक,दि0प0नि0 को डायरी सं0–डीटीसी/19/13712 दिनांक 29–8–19 के संदर्भ में कृपया सूचनार्थ।

(3)प्रतिलिपिः– उप मुख्य महाप्रबन्धक (हिन्दी) को कृपया सूचनार्थ।

(4) प्रति: प्रबन्धक (आई०टी०) को विभाग की वेबसाइट में अपलोड करने के लिए।

उ. मु. म. प्र. पोस्टर

Sub Coord. (IS)

विजय कुमार देव
VIJAY KUMAR DEV, I.A.S

मुख्य
राष्ट्रीय राजधानी क्षे
Chief Sec
Government of NC

सत्यमेव जयते

संदेश

"हिन्दी दिवस"

14 सितम्बर, 2019

हिन्दी दिवस के अवसर पर आप सबको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। भारत के संविधान में हिन्दी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। भारत की सभी भाषायें हमारे लिये आदरणीय हैं लेकिन देश को एक सूत्र में पिरोने के लिये राजभाषा हिन्दी को बढ़ावा देने और इसका अधिक से अधिक प्रचार करने की आवश्यकता है। इसी संदर्भ में प्रतिवर्ष 14 सितम्बर को मनाये जाने वाले '**हिन्दी दिवस**' का विशेष महत्व है।

सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग की दिशा में सरकार सतत प्रयासरत है। परन्तु सरकार का यह प्रयास प्रबुद्ध नागरिकों के सहयोग के बिना सार्थक नहीं हो सकेगा। अतः आवश्यक है कि वे सरकार से अपना संपर्क राजभाषा के माध्यम से स्थापित करें।

राजभाषा के रूप में हिन्दी के अपेक्षित प्रयोग हेतु बनाए गए अधिनियम, नियमों तथा समय–समय पर जारी आदेशों का अनुपालन करते हुए हमें अपने कार्यालयों में हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग करने का भरसक प्रयास करना चाहिए। अब कम्प्यूटरों और अन्य उपकरणों की उपलब्धता के फलस्वरूप हिन्दी में कार्य करना पहले से और अधिक सरल हो गया है। यह प्रसन्नता की बात है कि सरकारी कामकाज हिन्दी में किए जाने की दिशा में धीरे–धीरे प्रगति हो रही है, परन्तु यह प्रगति यथेष्ट नहीं है। अतः हमें इसे और आगे बढ़ाने के निरन्तर भरसक प्रयास करने होंगे।

मेरा समस्त विभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को सरकारी कामकाज में आसान हिन्दी का प्रयोग किए जाने के लिये प्रेरित करें। आईए, हिन्दी दिवस के इस पावन अवसर पर – राजभाषा तथा भारत की जनभाषा, दोनों रूपों में हिन्दी के विकास के प्रति स्वयं को समर्पित करें। सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को यह निश्चिय करना चाहिए कि अपने दैनिक सरकारी कामकाज में अधिक से अधिक हिन्दी का प्रयोग करें।

(विजय कुमार देव)
मुख्य सचिव, दिल्ली

दिल्ली सचिवालय, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली–110002, फोन : 011-23392100, 011-23392101, फैक्स : 011-23392102

DELHI SECRETARIAT, I.P. ESTATE, NEW DELHI-110002, Tel. : 011-23392100, 011-23392101 Fax : 011-23392102
E-mail : csdelhi@nic.in

35

मनोज कुमार आई.ए.एस.
प्रबन्ध निदेशक

दिल्ली परिवहन निगम
(रा0 रा0 क्षेत्र, दिल्ली सरकार)
इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली–2
फोन : 011–23379075 : 011–23370877

सं0–रा0भा0वि0 / हिं0दिवस / 19 / 43 दिनांक : 06 सितम्बर, 2019

"हिन्दी–दिवस"

(14 सितम्बर, 2019)

संदेश

दिल्ली परिवहन निगम में **"14 सितम्बर से 28 सितम्बर, 2019"** तक **'हिन्दी पखवाड़े'** का आयोजन किया जा रहा है। हिन्दी हमारे देश की राजभाषा है। **14 सितम्बर, 1949** को हिन्दी भाषा को भारत संघ की राजभाषा घोषित किया गया था। अतः प्रत्येक वर्ष पूरे देश में **"14 सितम्बर"** को **'हिन्दी–दिवस'** के रूप में मनाते हैं।

निगम में हिन्दी के प्रचार–प्रसार एवं विकास को गति प्रदान करने के लिए हम सभी का यह कर्तव्य है कि हम सरकारी कामकाज में हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग करें और इसके लिए सरल हिन्दी के शब्दों का प्रयोग करें। देश की राजधानी तथा हिन्दी भाषी क्षेत्र में कार्य करने के कारण हमारा संवैधानिक / नैतिक दायित्व हो जाता है कि हम हिन्दी को उसका वास्तविक दर्जा दिलाएं।

मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि निगम के समस्त अधिकारी / कर्मचारी इस पावन दिवस पर संकल्प लेंगे कि वह अपना अधिकाधिक कार्य राजभाषा हिन्दी में ही करेंगे।

धन्यवाद,

(मनोज कुमार)
प्रबन्ध निदेशक

ITD HQ/19/1890
9-9-19

(34)

दिल्ली परिवहन निगम

(रा0 रा0 क्षेत्र, दिल्ली सरकार)
इन्द्रप्रस्थ एस्टेट : नई दिल्ली–110002

सं0–रा0भा0वि0–हिं0प0 / 2019 / 44 दिनांक 06 सितम्बर, 2019

"हिन्दी पखवाड़ा"

दिल्ली परिवहन निगम के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूचना के लिए यह परिपत्रित किया जाता है कि इस निगम में दिनांक **14 सितम्बर से 28 सितम्बर, 2019** तक "हिन्दी पखवाड़ा" मनाया जा रहा है। इस अवसर पर ***सभी डिपो प्रबन्धकों से अपेक्षित है कि वे अपने डिपो के मुख्य गेट पर हिन्दी पखवाड़े का बैनर बनवाकर लगायें जिसका प्रारूप इसके साथ संलग्न है।*** चूंकि इस आयोजन का मुख्य उद्‌देश्य निगम में हिन्दी का अधिक से अधिक प्रचार व प्रसार करना है, अतः निगम के सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों से अनुरोध है कि वे अपना–अपना दैनिक कार्य केवल हिन्दी में ही करें और निम्नलिखित बातों का अनुपालन सुनिश्चित करें:––

1– उपस्थिति रजिस्टर में नाम हिन्दी में लिखे होने चाहिए तथा उसमें हस्ताक्षर भी हिन्दी में ही होने चाहिए।

2– अपनी छुट्‌टी का प्रार्थना–पत्र केवल हिन्दी में ही प्रस्तुत करें।

3– कार्यालय में दिया जाने वाला किसी भी प्रकार का प्रतिवेदन हिन्दी में ही दें।

4– हिन्दी पत्रों के लिए अलग डायरी रजिस्टर बनायें और प्रेषण रजिस्टर में स्पष्ट रूप से दर्ज करें।

5– हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से केवल हिन्दी में ही दें।

6– निगम में उपलब्ध सभी कम्प्यूटरों पर हिन्दी में कार्य करने की सुविधा उपलब्ध हो।

7– फाइल पर टिप्पणियां (नोट्‌स) हिन्दी में ही लिखें तथा लिखते समय साधारण बोलचाल की भाषा का प्रयोग करें।

8– **रबड़ की मोहरें, सील इत्यादि केवल हिन्दी में अथवा हिन्दी और अंग्रेजी द्विभाषिक रूप में बनायीं जाएं।**

9– अंकों को लिखने के लिए 1.2.3.4.5.6.7.8.9. प्रयोग कर सकते हैं।

क्रमशः:––––––––––2 / –

(33)

10- फाइल कवरों पर विषय हिन्दी में लिखें।

11- पूछताछ सम्बन्धी कार्रवाई केवल हिन्दी में ही की जाए।

12- हिन्दी टाइप एवं हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षित कर्मचारियों से अधिक से अधिक कार्य हिन्दी में कराएं।

13- सामान्य आदेश, संकल्प, ज्ञापन, निविदा आदि केवल हिन्दी में अथवा हिन्दी और अंग्रेजी द्विभाषिक रूप में ही जारी किए जाएं।

14- कर्मचारियों के स्थानान्तरण, सेवा निवृत्ति, पदोन्नति, साक्षात्कार, चिकित्सा जांच सम्बंधी पत्र हिन्दी में ही जारी किये जाएं।

15- **बसों में अगला गन्तव्य पट्ट अनिवार्य रूप से हिन्दी में ही तथा पिछला अंग्रेजी में लगाया जाए तथा साइड का गन्तव्य-पट्ट भी अनिवार्य रूप से हिन्दी में ही लगाया जाए।**

16- कम्प्यूटर में उन कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए प्राथमिकता दी जाए जो हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में कार्य कर सकें।

17- **लो-फ्लोर बसों के अन्दर (चालक सीट के पीछे) लगे हुए प्रदर्शन - पटल पर प्रदर्शित होने वाले वाक्य हिन्दी में अथवा द्विभाषी अर्थात् अंग्रेजी-हिन्दी में होने चाहिए।**

18- पास अनुभागों से जारी होने वाले पास-फार्म द्विभाषी अर्थात् अंग्रेजी-हिन्दी में अथवा केवल हिन्दी में ही होने चाहिए।

19- उपर्युक्त के कार्यान्वयन में किसी भी प्रकार की कठिनाई/समस्या आने पर राजभाषा विभाग (मु0) (हिन्दी अनुभाग) से दूरभाष सं0- 23370236/278 पर संपर्क कर सकते हैं।

आराधना

(डॉ0 आराधना)
उप मुख्य महाप्रबन्धक(हिन्दी)

सभी यूनिट/अनुभाग अधिकारी

सभी नोटिस बोर्ड

दिल्ली परिवहन निगम

(रा0 रा0 क्षेत्र, दिल्ली सरकार)

'हिन्दी पखवाड़ा'

(दिनांक 14 से 28 सितम्बर)